



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072026-273974
CG-DL-E-01072026-273974

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3263]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 25, 2026/ आषाढ 4, 1948

No. 3263]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 25, 2026/ ASHADHA 4, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2026

का.आ. 3397(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1959(E) तारीख 20/04/2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के सुरेंद्रनगर जिले में NH51 के कि.मी. 38.2 से कि.मी.85.118 तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "30/04/2026 को "ध इंडियन एक्सप्रेस [इंग्लिश]", 30/04/2026 को "दिव्या भास्कर" " में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्टें प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

गुजरात राज्य के सुरेंद्रनगर जिले में NH51 के कि.मी. 38.2 से कि.मी. 85.118 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: गुजरात			जिले का नाम: सुरेंद्रनगर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: धरांगधरा					
गांव का नाम: जगडवा					
1	५६२	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0147	देवपालसिंह विजयसिंह ज़ाला
गांव का नाम: नवलगढ़					
2	१४४	निजी	एग्रीकल्चर	0.0305	ध्रांगधरा पांजरापोल
3	५२९	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.005	श्री सरकार
4	५५८	निजी	एग्रीकल्चर	0.2536	नटुभाई धनाभाई रबारी
5	९९३	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0027	श्री नवलगढ़ ग्रामपंचायत
गांव का नाम: प्राथगढ़					
6	३२१	निजी	एग्रीकल्चर	0.0129	पटेल रेखाबेन वसंतभाई विगेरे
गांव का नाम: धरंगाधरा					
7	१५५७ /पी	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	3.3402	श्री सरकार
8	१८६	निजी	एग्रीकल्चर	0.5734	बलभद्रसिंह शक्तिसिंह राणा

9	१८७	निजी	एग्रीकल्चर	0.0787	हिमतलाल भगवानभाई दलवाडी विगेरे
10	२४७ /पी2	निजी	एग्रीकल्चर	0.6312	मिलिंद नवीनभाई पटेल विगेरे
11	२५३/पी१	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0217	श्री ध्रांगधरा केमिकल वर्क्स लिमिटेड
12	२६०	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.3425	श्री सरकार
13	२६६	निजी	एग्रीकल्चर	0.4214	निर्मल रोहितकुमार शाह विगेरे
14	२६७	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0854	श्री सरकार
Total				5.8139	

[फा.सं. 51-GJ/2021-22/667/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 2026

S.O. 3397(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **1959(E) Dated:20/04/2026** , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of NH51 in the stretch of land from Km. 38.2 to Km. 85.118 in the district of SURENDRANAGAR in the state of GUJARAT

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Indian Express” dated 30/04/2026 , “Divya Bhaskar” dated 30/04/2026 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH51 in the stretch of land from Km. 38.2 to Km. 85.118 in the district of SURENDRANAGAR in the state of GUJARAT

State: GUJARAT			District: SURENDRANAGAR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Dhrangadhra					
Village: Jegadva					
1	562	Private	Non Agriculture	0.0147	DEVPALSINH VIJAYSINH ZALA
Village: Navalgadh					
2	144	Private	Agriculture	0.0305	DHRANGADHRA PANJARAPOL
3	529	Government	Non Agriculture	0.005	SHREE SARKAR
4	558	Private	Agriculture	0.2536	NATUBHAI DHANABHAI RABARI
5	993	Government	Non Agriculture	0.0027	SHREE NAVALGADH GRAMPANCHAYAT
Village: Prathugadh					
6	321	Private	Agriculture	0.0129	PATEL REKHABEN VASANTBHAI VIGERE
Village: Dhrangadhra					
7	1557/p	Government	Non Agriculture	3.3402	SHREE SARKAR

8	186	Private	Agriculture	0.5734	BALBHADRASINH SHAKTISINH RANA
9	187	Private	Agriculture	0.0787	HIMATLAL BHAGVANBHAI DALVADI VIGERE
10	247/p2	Private	Agriculture	0.6312	MILIND NAVEENBHAI PATEL VIGERE
11	253/p1	Private	Non Agriculture	0.0217	SHREE DHRANGADHRA CHEMICAL WORKS LIMITED
12	260	Government	Non Agriculture	0.3425	SHREE SARKAR
13	266	Private	Agriculture	0.4214	NIRMAL ROHITKUMAR SHAH VIGERE
14	267	Government	Non Agriculture	0.0854	SHREE SARKAR
Total				5.8139	

[F. No. 51-GJ/2021-22/667/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director